HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No.2331/2025
IN
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 3029/2025

Sureshchand Son Of Janaksingh, Resident Of Bateshwar Kalan, Police Station, Kanchanpur, District Dholpur. (Presently Confined In Central Jail, Sever, District Bharatpur).

----Appellants

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री रजनीश गुप्ता
श्री उत्कर्ष गोयल
श्री हेराम्भ सारस्वत

For Respondent(s) : श्री सुदेश कुमार सैनी, लोक अभियोजक
मि. गौरी मीणा

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27-03-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **अपर सैशन न्यायाधीश, बाडी, जिला धौलपुर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**13/2018, सरकार बनाम रमेशचंद वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **14.11.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम **सात वर्ष के साधारण** कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका निवेदन है कि अपीलार्थी विचारण के दौरान दिनांक 25.12.2017 से 30.01.2018 तक अभिरक्षा में रहा है, वर्तमान में वह दिनांक 14.11.2025 से निरंतर अभिरक्षा में है। उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग 6 माह हो चुकी है । इस घटना में आहत निरंजन के प्राणघातक चोंटे आना बतायी गई है, उक्त चोट अपीलार्थी सुरेशचन्द द्वारा कारित नहीं की गई है बल्कि सह अभियुक्त रमेशचंद द्वारा उक्त चोट कारित किया जाना बताया गया है । उनका निवेदन है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध आहत निरंजन के बयान, उसके चिकित्सा संबंधी दस्तावेज व विचारण न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मुख्य रूप से आहत निरंजन के शरीर पर आयी चोट संख्या–1 को प्राणघातक होना बताया गया है, जो चोट सह अभियुक्त रमेश द्वारा कारित किया जाना बताया है । अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं

25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **27.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **सुरेश चन्द पुत्र जनकसिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/15sos